



2026:AHC:59359

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. कि धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 11295/2026

मैसर्स आराध्या फूड्स

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: अली हसन, इशितयाक अली

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन, दिनांक 10.11.2025 को सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 180 वर्ष 2025 (एम/एस आराध्या फूड्स, स्वामी राजीव कुमार गुप्ता के माध्यम से एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश तथा दिनांक 29.01.2025 को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 5, बरेली द्वारा परिवाद संख्या 1223 वर्ष 2023 (राज कुमार अग्रवाल बनाम आराध्या फूड एवं अन्य), धारा 138 एन.आई. अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद बरेली के अंतर्गत पारित आदेश को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 29.01.2025 के द्वारा, विपक्षी संख्या 2 के एन.आई. एक्ट की धारा 143ए के अंतर्गत आवेदन को स्वीकार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कर लिया गया है, जिसमें आवेदक को 60 दिनों के भीतर मूल राशि का 20% जमा करने का निर्देश दिया गया है। अगला तर्क यह है कि आक्षेपित आदेश आवेदक की आपत्तियों पर विचार किए बिना मनमाने तरीके से पारित किया गया है, और मूल राशि के 20% को अंतरिम के रूप में जमा करने की अनुमति देना अवैध और मनमाना है। इसके पश्चात, आवेदक ने उक्त आदेश को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 180 वर्ष 2025 दाखिल करके चुनौती दी, जिसे दिनांक 10.11.2025 को खारिज कर दिया गया और 29.01.2025 के आदेश की पुष्टि कर दी गई। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान न्यायालय ने आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिए बिना विपक्षी संख्या 2 के आवेदन को स्वीकार कर लिया। आवेदक धारा 143 ए एन.आई. एक्ट के तहत आपत्ति दाखिल नहीं कर सका। आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य 2024 आई.एन.एस.सी 205 के निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने धारा 143 ए एन.आई. एक्ट के तहत आवेदन दाखिल करने के मापदंड निर्धारित किए हैं और विपक्षी संख्या 2 के आवेदन को स्वीकार करते समय उन पर विचार नहीं किया गया है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त वाद की कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना का दृढ़तापूर्वक विरोध किया तथा निवेदन किया कि विवादित आदेश किसी प्रकार की अवैधता या त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

5. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक को अवसर प्रदान किया गया था, परंतु वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अब इस स्तर पर, आपत्ति दाखिल करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि पुनरीक्षण न्यायालय ने भी आवेदक की प्रार्थना पर विचार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात ही आदेश पारित किया है। आक्षेपित आदेश न्यायसंगत एवं उचित है और एन.आई. एक्ट की धारा 143ए के प्रावधानों के अनुरूप पारित किया गया है। धारा 143 ए यह प्रावधान करती है कि यदि शिकायतकर्ता



अंतरिम प्रतिकर के संबंध में आवेदन करता है, तो उसका निर्णय आवेदक/अभियुक्त द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद किया जाएगा। विचारण न्यायालय ने धारा 143 ए के तहत आवेदन पर विचार करते समय यह पाया कि आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। अधिनियम के तहत यह एक अनिवार्य प्रावधान है कि शिकायतकर्ता अंतरिम प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, एन.आई. एक्ट की धारा 143 ए (4) यह प्रावधान करती है कि यदि आवेदक/अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो शिकायतकर्ता को दी गई अंतरिम प्रतिकर की राशि वापस वसूल की जाएगी। धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत कार्यवाही वर्तमान में गवाहों के परीक्षण और साक्ष्यों हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है। शिकायतकर्ता को राहत प्रदान करना न्यायालय का विवेकाधिकार है। शिकायतकर्ता ने धारा 143 ए के तहत आवेदन स्वीकार करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध कर दिया है। अतः, विचारण न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. तदनुसार, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

23 मार्च, 2026

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)